न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), गरौठा, झांसी।

परिवाद सं0 – 40/2016

कैलाश **बनाम** **मनीष आदि।**

थाना – टहरौली,
जिला – झांसी।

दिनांकः 12.08.2016

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी कैलाश की ओर से यह परिवाद, विपक्षी मनीष बगैरह के विरुद्ध यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.06.2016 को समय करीब 10.00 बजे सुबह अपने मकान के अन्दर बैठा था उसी समय गांव के मनीष पुत्र आलम, गनेश, प्रभू ढीमर व मुन्नालाल तथा श्रीमती रामदेवी व श्रीमती सुक्कन मेरे घर में घुस आये तथा उत्तेजित होकर गाली–गलौज करते हुये कहन लगे कि तूने एस0एस0पी0 झांसी के यहां शिकायत क्यों की? उसे वापस ले लो। परिवादी द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा लात–घूंसों, लाठी–डण्डों तथा बरछी से मारपीट की। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवादी की पत्नी श्रीमती सुनीता बचाने आई तो उसको भी मारा पीटा। शोर पर हरीराम व मिथलेश ने घटना देखी व बचाया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। मारपीट से परिवादी व उसकी पत्नी के शरीर में काफी चोटें आई, जिसका इलाज कराया। घटना की सूचना थानाध्यक्ष, टहरौली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को देने पर कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

परिवादी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में नकल प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, रजिस्ट्री रसीद व मेडीकल प्रपत्र प्रस्तुत की है।

परिवादी द्वारा घटना के संबंध में स्वयं को धारा 200 दं0प्र0सं0 में परीक्षित कराया है जिसमें उसने बताया कि घटना दिनांक 04.06.2016 को समय करीब 10.00 बजे दिन की है। मैं घर पर था तभी अभियुक्तगण मनीष, गनेश, व मुन्ना, रामदेवी व छुट्टन मेरे घर आकर गाली देने लगे व मारपीट की। मुन्नालाल बल्लम, मनीष ने लाठी रामदेवी व छुट्टन ने लात घूंसों से मारा। हरीराम व मिथलेश के बचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। परिवादी के इन कथनों का समर्थन साक्षियों हरीराम व मिथलेश ने धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों में किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण मनीष, गनेश, मुन्नालाल, श्रीमती रामदेवी व श्रीमती सुक्कन के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला वादी के घर में घुसकर गाली–गलौज करने, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का बनना प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण मनीष, गनेश, मुन्नालाल, श्रीमती रामदेवी व श्रीमती सुक्कन, प्रथम दृष्टया धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब होने योग्य हैं।

: : आदेश : :

अभियुक्तगण मनीष, गनेश, मुन्नालाल, श्रीमती रामदेवी व श्रीमती सुक्कन को प्रथम दृष्टया धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया जाता है। पैरवी अन्दर सप्ताह की जावे। हाजिरी हेतु दिनांक 12.11.2016 को पेश हो।

(महेन्द्र कुमार रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी